

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

विषय: जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव में बडकोट बैण्ड से जानकी चटटी (यमनोत्री) तक लम्बाई 49.800 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.498 हे० वन भूमि पर विन्धिया टेलीलिक लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2503/FP/UK/OFC/38358/2019, दिनांक 13 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव में बडकोट बैण्ड से जानकी चटटी (यमनोत्री) तक लम्बाई 49.800 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.498 हे० वन भूमि पर विन्धिया टेलीलिक लि० को 30 वर्षों की लीज वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 16.10.2000, 08.04.2009, शासनादेश संख्या एफ०न०-5-3/2007- एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009, एफ०न०-11-568/2014-एफ०सी०, दिनांक 02.02.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं०-156/7-1-2005-500(826)/2002, दिनांक 09.09.2005 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/ प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. फाइबर केबिल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाइबर केबिल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित फाइबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

उप सचिव।
(सत्यप्रकाश सिंह)

आज्ञा से

9. गाड़ फाड़ल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आइ0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. Vindhya Telelinks Ltd, E-237, 3rd Floor, Industrial Area, phase VIII B, Mohali.
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
4. वन संरक्षक, यमुना वन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. महालेखाकार, लेखा एवं इकदाशी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (कन्दौली), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

संख्या: 256(1)/X-4-19/2(12)/2019 तदतिनांकित।

अपर सचिव।

(सुभाष चन्द)

भवदीय,

2. तदनुसार कार्रवाही करना सुनिश्चित करें।
18. प्रयोज्य एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं होने अथवा अक्षमतापूर्ण अर्जपत्र होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्मित किया जाएगा।
17. प्रयोज्य एजेंसी द्वारा भूमिगत ऑस्टिकल फाईबर केबल लाइनें विद्यमान क्षेत्रों के लिए संबंधित शासन द्वारा अधिभूत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
16. प्रयोज्य एजेंसी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें शासकीय इस्तेमाल के लिए विलेखित करवाया जाएगा। ऐसे पट्टा विलेख के विषय (कन्वर्सेंस) कोषक के शासनादेश संख्या 198/7-जी-सी-89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधिगत रूप से पूर्व लेखाशासक-070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-01-न्याय प्रशासन-501-सेवाएं और सेवा फीस-01-की गयी सेवाओं के लिए भूदान की उगाही के अन्तर्गत देवरी बालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधायित्व किसे जानने के उपरान्त ही किया जाएगा।
15. प्रयोज्य एजेंसी द्वारा प्रस्ताव वन भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन नोल अधिकांश कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
14. प्रयोज्य एजेंसी के व्यय पर मक हिसाबजाल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जाएगा। प्रयोज्य एजेंसी द्वारा उल्लिखित मूल्य का निस्तारण विहित स्थलों पर ही किया जाएगा। उल्लिखित मूल्य को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नीचे में निस्तारित नहीं किया जाएगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा योजनानुसार किया गया मक हिसाबजाल का कार्य प्रस्तुत में किया जाएगा। प्रयोज्य एजेंसी द्वारा उल्लिखित मूल्य का निस्तारण विहित स्थलों पर ही किया जाएगा। प्रयोज्य एजेंसी के व्यय पर मक हिसाबजाल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जाएगा। प्रयोज्य एजेंसी के व्यय पर मक हिसाबजाल का कार्य प्रस्तुत में किया जाएगा।
13. प्रयोज्य एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से फाईबर केबल का केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
12. प्रयोज्य एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जीविक दबाव को कम किया जा सके।
11. प्रयोज्य एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाईन/स्टाफ के रसाईन तेल की